IS 15700:2018

सेवोत्तम प्रमाणित

हमारा प्रयास, आपका आवास

पंजीकरण पुस्तिका

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद के सेक्टर-23 में विभिन्न प्रकार के 546 नग भूखण्डों को प्राप्त करने का

सुनहरा मौका

पंजीकरण की तिथि

दिनांकः- 15.12.2023 से 15.01.2024 तक

रेरा पंजीकरण संख्या- UPRERAPRJ388116

रेरा वेबसाइट-www.up-rera.in/projects

परियोजना से सम्बन्धित घोषणायें

- परियोजना स्थल उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद द्वारा संचाालित सेक्टर–23 मण्डोला विहार योजना, जनपद गाजियाबाद हेतु विधिवत अधिग्रहित एवं कब्जा प्राप्त भूमि पर संचालित।
- परियोजना की भूमि वर्तमान में पूर्णतया विवाद रहित।

योजना के विशेष आकर्षण

- मण्डोला विहार योजना दिल्ली सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (709बी) के दोनों तरफ स्थित हैं।
- भारतमाला परियोजना के अन्तर्गत निर्माणाधीन अक्षरधाम (दिल्ली) से देहरादून 6 लेन एलिवेटेड रोड का एन्ट्री एवं एक्जिट मण्डोला विहार योजना, गाजियाबाद में एन०एच०ए०आई० द्वारा प्रस्तावित है।

अन्तर्राज्यीय बस स्टेशन (आई०एस०बी०टी0) कश्मीरी गेट से 15 कि०मी०

शिव विहार मैट्रो स्टेशन से 9 कि0मी0

ईस्टर्न पैरिफिरेयल एक्सप्रेस–वे से 8 कि0मी0

दिल्ली की सीमा से मात्र 4 कि०मी०

लोनी रेलवे स्टेशन से मात्र 8 कि०मी०

एक परिचय

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद का गठन परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत माह अप्रैल 1966 में विभिन्न आवास एवं विकास योजनाओं का नियोजित ढंग से कार्यान्वयन करते हुए, प्रदेश तथा राष्ट्रीय स्तर की आवास नीति एवं कार्यक्रम के अनुसार आवास संबंधी कार्यों में समन्वय लाने के उद्देश्य से किया गया।

उद्देश्य

(अ) प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न आवास संबंधी कार्यकलापों की योजना बनाना एवं इन योजनाओं का शीघ्र तथा प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

(ब) केन्द्र एवं राज्य सरकार, व्यवसायिक बैंक, वित्तीय संस्थाओं तथा अन्य सार्वजनिक निगमों तथा उपक्रमों से अनुदान अथवा ऋण लेना।

(स) भूमि अर्जित करना तथा आवासीय योजनाओं में सड़क, विद्युत, जलापूर्ति, जल सम्भरण तथा अन्य नगरीय सुविधाओं एवं आवश्यकताओं की व्यवस्था करते हुए पंजीकृत व्यक्तियों की मांग के अनुरूप भूखण्ड अथवा भवन आदि निर्मित करके उनको आवंटित करना।

(द) समाज के दुर्बल वर्ग तथा अनुसुचित जाति एवं जनजाति, सुरक्षा कर्मचारी एवं स्वतंत्रता सेनानी वर्ग के व्यक्तियों के लिए भवन उपलब्ध कराने हेतु विशेष प्रयास करना।

(ध) केन्द्र / राज्य सरकार तथा उसके उपक्रम अथवा अन्य संस्थाओं के लिए कार्यालय भवन, शापिंग काम्पलेक्स तथा आवासीय कालोनियों का निर्माण करना व तकनीकी सलाह देना नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त उपनगरीय क्षेत्रों में भी आवासीय सुविधायें उपलब्ध कराना।

(न) भवन निर्माण एवं विकास कार्यों में गति लाना तथा लागत में कमी लाने के उद्देश्य से अनुसंधान कार्यों को प्रोत्साहन देना तथा कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नालॉजी का प्रयोग करते हुए स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करना।

(प) प्रदेश में सहकारिता आन्दोलन को बढ़ावा देने के लिए सहकारी आवास समितियों को प्रोत्साहित करना।

(फ) आवंटियों को सम्पत्ति क्रय करने के लिए वांछित ऋण उपलब्ध कराना।

परिषद अपनी योजनाओं के अन्तर्गत उन सभी अनिवार्य सेवाओं तथा नागरिक सुविधाओं जैसे–विद्युत–आपूर्ति, शुद्ध पेय जल, ड्रेनेज, सीवर प्रणाली, नालियों, सड़कों पार्कों तथा सामुदायिक केन्द्र आदि की व्यवस्था करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही परिषद अपनी योजनाओं में विक्रय केन्द्रों, विद्यालयों एवं विभिन्न संस्थाओं आदि के निर्माण हेतु भी व्यवस्था करती है जिसके फलस्वरूप परिषद योजनाएं स्वयं परिपूर्ण शहरी इकाईयों के रूप में विकसित होती हैं।

परिषद की योजनाओं में उपलब्ध सम्पत्तियों का आवंटन/प्रदेशन पंजीकृत आवेदको के मध्य सम्पत्तियों का आवंटन लॉटरी द्वारा किया जाना है।

क्र. सं.	भूखण्डों का क्षेत्रफल (वर्ग मी.)	भूखण्डों की संख्या	मानक भूखण्ड का मूल्य (रु. लाख में) फ्रीहोल्ड सहित	पार्क फेसिंग भूखण्ड का मूल्य (रु. लाख में) फ्रीहोल्ड सहित	कार्नर भूखण्ड का मूल्य (रु.लाख में) फ्रीहोल्ड सहित	कार्नर एवं पार्क फेसिंग भूखण्ड का मूल्य (रु.लाख में) फ्रीहोल्ड सहित	पंजीकरण धनराशि (रु. लाख में)		आवंटन के उपरान्त पंजीकरण धनराशि समायोजित करते हुये एक माह में जमा की जाने वाली धनराशि सामान्य श्रेणी (रु. लाख में)				आवंटन के उपरान्त पंजीकरण धनराशि समायोजित करते हुये एक माह में जमा की जाने वाली धनराशि आरक्षित श्रेणी (रु. लाख में)				अवशेष धनराशि 16 त्रैमासिक किश्तों में (रु. लाख में)			
							सामान्य श्रेणी	आरक्षित श्रेणी	मानक	पार्क फेसिंग	कार्नर	कार्नर एवं पार्क फेसिंग	मानक	पार्क फेसिंग	कार्नर	कार्नर एवं पार्क फेसिंग	मानक	पार्क फेसिंग	कार्नर	कार्नर एवं पार्क फेसिंग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	40.74	118	10.96	11.50	12.06	12.61	0.56	0.28	5.2	5.47	5.75	6.025	5.48	5.75	6.03	6.305	0.398	0.42	0.44	0.462
2	75.00	114	20.16	21.17	22.18	23.19	1.02	0.51	9.57	10.1	10.58	11.085	10.08	10.585	11.09	11.595	0.733	0.77	0.81	0.849
3	112.50	180	30.24	31.76	33.27	34.78	1.52	0.76	14.4	15.1	15.88	16.63	15.12	15.88	16.64	17.39	1.1	1.16	1.22	1.274
4	200.00	134	53.76	-	59.14	-	2.7	1.35	25.5	-	28.22	-	26.88	-	29.57	-	1.956	-	2.16	-
	Grand Total	**546**																		

रेरा पंजीकरण संख्या-UPRERAPRJ388116

प्राविधान/शर्तें :

1. 60 माह तक अथवा उससे पूर्व परियोजना पूर्ण कर भौतिक कब्जा दिया जाना प्रस्तावित है।
2. भूखण्ड का साइज व ले–आउट अपरिवर्तनीय है, अपरिहार्य कारणोंवश किसी परिवर्तन की आवश्यकता होने पर भू–सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम की धारा–14 में वर्णित प्रतिबन्धों/व्यवस्थाओं के अधीन परिवर्तन अनुमन्य होगा।
3. पंजीकरण पुस्तिका में अंकित भूखण्डों का कब्जा रेरा में अंकित परियोजना पूर्ण होने की तिथि तक हस्तगत किया जाना प्रस्तावित है। परिषद द्वारा विलम्ब से कब्जा दिये जाने की दशा में एग्रीमेन्ट फार सेल की शर्तो / प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। Force Majure की स्थिति में, किसान आन्दोलन की वजह से हुए विलम्ब पर अथवा ऐसी परिस्थितियाँ जो परिषद के वश में नही हैं, उनमें कब्जा देने की तिथि बढ़ायी जा सकती है, जिस पर ब्याज देय नही होगा।
4. पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित नियमों के अतिरिक्त किसी भी विसंगति की स्थिति में भू–सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम–2016 के प्राविधान लागू होगें।
5. पूर्णता प्रमाण पत्र एवं विक्रय विलेख के पश्चात ही कब्जा पत्र निर्गत किया जायेगा।

एकमुश्त भुगतान विकल्प देने पर

- आवंटन के पश्चात आवंटन पत्र/मांग पत्र निर्गमन तिथि से 60 दिन में भूखण्ड के मूल्य का पूर्ण भुगतान करने पर 05 प्रतिशत की विशेष छूट अनुमन्य होगी।
- प्रथम चरण मे एकमुश्त भुगतान करने पर प्राप्त आवेदकों के मध्य आवंटन सार्वजनिक लॉटरी ड्रॉ द्वारा किया जायेगा। उक्त के उपरान्त यदि सम्पत्ति शेष रह जाती है तो किश्तों पर प्राप्त आवेदकों के मध्य सार्वजनिक लॉटरी ड्रॉ से कार्यवाही की जायेगी।

किश्तों में भुगतान विकल्प देने पर

- भूखण्ड आवंटन के पश्चात रजिस्टर्ड एग्रीमेन्ट फॉर सेल किया जायेगा जिसका पंजीयन शुल्क आवंटी को स्वयं वहन करना होगा। आवंटनोपरान्त एग्रीमेन्ट की schedule-c की समय अवधि के अनुसार धनराशि का भुगतान आवंटी द्वारा किया जायेगा, जिसमें एग्रीमेन्ट फॉर सेल के बिन्दु संख्या–1.3 के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

भूमि दर

- वर्तमान भूमि की आरक्षित आवासीय दर (रुपया–24,000 प्र०व०मी०) तथा उस पर 12 प्रतिशत की फ्री–होल्ड शुल्क एवं भूखण्ड कार्नर होने की दशा में 10 प्रतिशत कार्नर शुल्क अतिरिक्त देय होगा। भूखण्ड के पार्क/ग्रीनबेल्ट फेसिंग(साइड/बैक) होने पर नियमानुसार 5 प्रतिशत पार्क/ग्रीन बेल्ट फेसिंग शुल्क भी देय होगा।

नोट :–

- जल/सीवर संयोजन तथा नियमित जल शुल्क के सम्बन्ध में नियमानुसार जो धनराशि परिषद द्वारा निर्धारित की जायेगी, उसका भी भुगतान करना होगा।
- विलेख/अनुबन्ध निष्पादन हेतु स्टॉम्प शुल्क, नगर निगम/सरकार या अन्य किसी अधिकारी द्वारा लगाये गये समस्त करों का वहन स्वयं आंवटी को कराना होगा।
- आवंटी को प्रदेशन पत्र/मांग पत्र में उल्लिखित धनराशि/औपचारिकताओं की पूर्ति निर्धारित अवधि तक पूर्ण करनी होगी। भूखण्ड को निरस्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अथवा अदेयता पर प्रदेशन निरस्त होता है तो परिषद नियमानुसार कटौतियाँ करते हुये निरस्त किया जायेगा।
- भूखण्डो के सम्बन्ध में शासन/परिषद द्वारा समय–समय पर बनाये गये आदेश/नियम भी आवेदक पर लागू होंगे। किसी सक्षम न्यायालय के स्थगन आदेश पर परिषद किसी क्षतिपूर्ति या ब्याज का देनदार नहीं होगा।
- आवंटी द्वारा परिषद से मानचित्र स्वीकृत कराकर तदानुसार ही उक्त भूखण्ड पर निर्माण कराया जायेगा।
- आयकर अधिनियम–1961 की धारा–194–1ए के अनुसार सम्पत्ति का मूल्य 50.00 लाख से अधिक होने पर प्रत्येक जमा की जाने वाली धनराशि पर 01 (एक) प्रतिशत आयकर के रूप में काटकर परिषद के पैन नं०–**AAAJU0103A** पर आपको जमा करना होगा। विलम्ब की दशा में आयकर विभाग के प्रावधानों के अनुसार ब्याज भी देय होगा।
- अनुबन्ध/विलेख निष्पादन हेतु शासन द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा।
- फ्री–होल्ड शुल्क, कार्नर एवं पार्क/ग्रीन बेल्ट फेसिंग शुल्क व जी०एस०टी० नियमानुसार देय होगा।
- परिषद अथवा शासन द्वारा समय–समय पर भूखण्डों के सम्बन्ध में बनाये गये नियम व शर्ते आवेदक को मान्य होंगी।
- तालिका में दर्शायी गयी भूखण्डों की संख्या संशोधित/परिवर्तित हो सकती हैं।
- भूखण्ड की तालिका में अंकित क्षेत्रफल मानक के अनुरूप है। कॉर्नर के भूखण्डों में क्षेत्रफल मानक से अधिक होगा। अतः भूखण्ड के क्षेत्रफल में कमी/वृद्धि होने की दशा में तदानुसार धनराशि देय होगी।
- प्रदेशन पत्र निर्गत होने के उपरान्त यदि राज्य सरकार एवं अन्य निकायों के कोई कर की यदि देयता होती है तो आवेदक को भुगतान करना होगा। यदि उपरोक्त के कारण या अन्य कारणों से शुल्क में वृद्धि होगी तो वह आवंटी द्वारा देय होगी।
- आवंटन/मांग पत्र में अतिरिक्त विविध व्यय के रूप में 0.25 प्रतिशत विज्ञापन शुल्क, रू० 354.00 अनुबंध हेतु एवं रू० 120.00 प्रति साइट प्लान हेतु अतिरिक्त देय होगा। नियमानुसार जी०एस०टी० देय होगी।
- भूखण्ड का कब्जा रजिस्ट्री सम्पादित होने के उपरान्त हस्तगत किया जायेगा।

योजना का ले-आउट प्लान

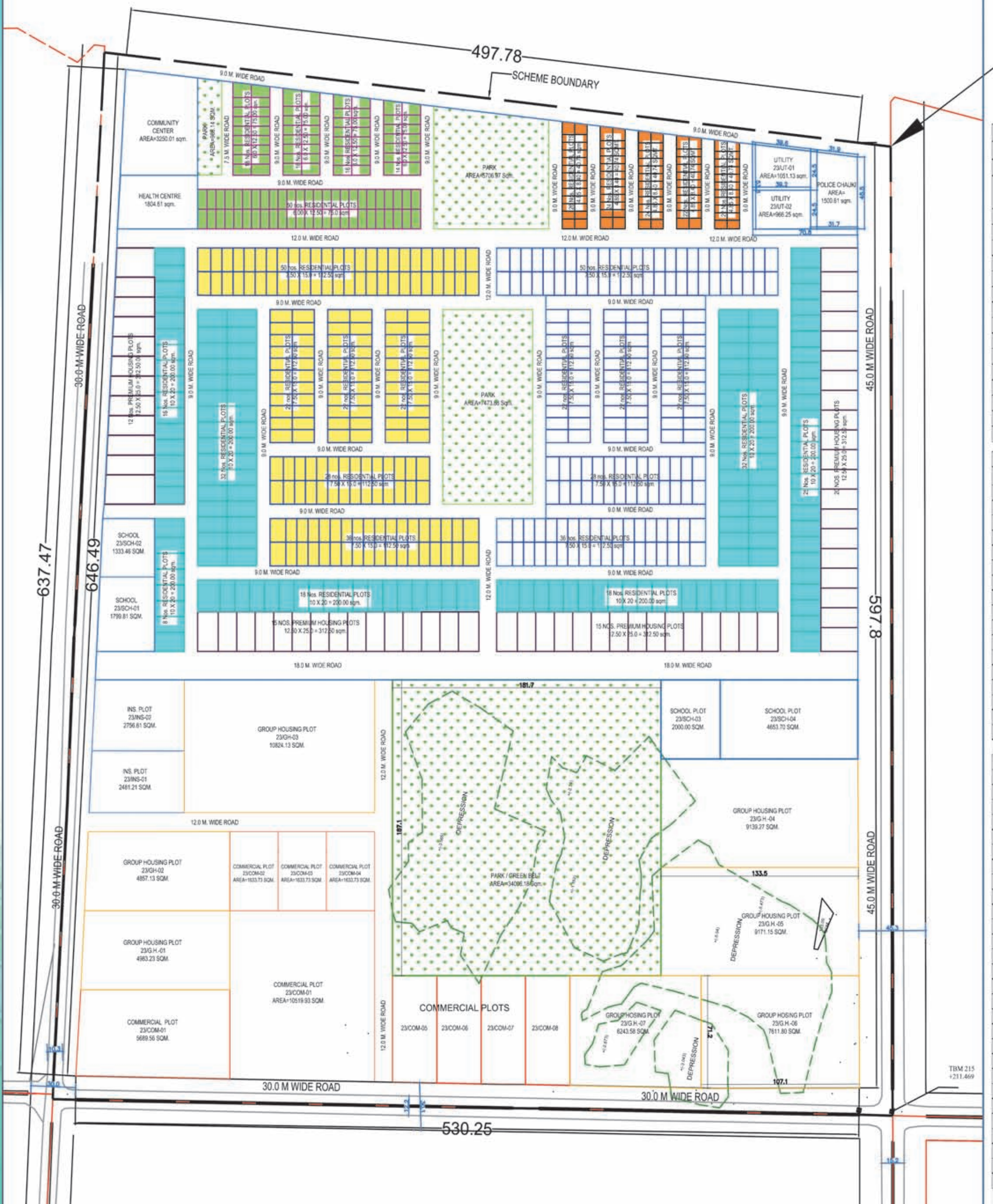

1. भुगतान का तरीका

1.1 भुगतान की तिथि एवं किश्तों की धनराशि जमा करने के सम्बन्ध में विवरण, पात्रता चयन होने पर मांग पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा।

1.2 सम्पत्ति को सार्वजनिक लॉटरी ड्रॉ से आवेदक को आवंटित किया जायेगा।

1.3 प्रदेशन/आवंटन पत्र के अनुसार, निर्धारित अन्तिम तिथि में बैंक में अवकाश होने की स्थिति में बैंक के आगामी कार्य दिवस तक, किश्त की धनराशि/पूर्ण देय धनराशि जमा करने की स्थिति में विलम्ब के कारण उक्त धनराशि पर ब्याज/अतिरिक्त ब्याज देय नहीं होगा।

1.4 आवंटी किसी भी समय अवशेष किश्तों की निर्धारित संख्या से कम किश्तों में भुगतान करने हेतु आवेदन करता है अथवा कुछ धनराशि एकमुश्त जमा करके किश्तों की धनराशि कम करने हेतु अनुरोध करता है तो इस प्रकार की अनुमति सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय के प्रभारी के स्तर से दी जा सकती है। किश्त पर आवंटित प्रश्नगत सम्पत्ति का अवशेष मूल्य किसी भी समय एकमुश्त जमा किया जा सकता है।

1.5 सम्पत्ति आवंटन के पश्चात रजिस्टर्ड एग्रीमेन्ट फॉर सेल किया जायेगा जिसका पंजीयन शुल्क आवंटी द्वारा देय होगा। आवंटनोपरान्त एग्रीमेन्ट की **Schedule-c** की समयावधि के अनुसार धनराशि का भुगतान आवंटी द्वारा किया जायेगा जिसमें रजिस्टर्ड एग्रीमेन्ट फॉर सेल के बिन्दु संख्या–1.3 के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

1.6 किसी भी भुगतान में विलम्ब की दशा में आवंटी द्वारा परिषद की नोटिस के बावजूद दो लगातार किश्तों में भुगतान की त्रुटि की दशा में आवंटी **MCLR+1%** की पर ब्याज अदा करेगा। परिषद के नोटिस के बावजूद आवंटी द्वारा तीन किश्तों के भुगतान में त्रुटि की जाती हैं, तो परिषद द्वारा आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा और बुकिंग की धनराशि की कटौती उपरान्त शेष धनराशि वापस कर दी जायेगी, इसके साथ ही अनुबन्ध निरस्त हो जायेगा।

1.7 समस्त भुगतान परिषद द्वारा अधिकृत बैंक से **RTGS/NEFT** एवं ऑनलाईन के माध्यम से पंजीकरण धनराशि जमा की जा सकती है। उक्त धनराशि प्रदेशन पत्र में अधिकृत बैंक शाखा में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार देय होगी।

1.8 नगर निगम अथवा किसी विभाग/निकाय द्वारा लगाये गये समस्त कर शुल्क का भुगतान आवंटी को करना होगा।

नोटः–

- आवंटन में परिषद/शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार आरक्षण देय होगा।
- **MCLR+1%** का आशय किसी वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा **MCLR+1** के विषय में प्रदान किये जाने वाले आउटलुक के आधार पर वित्त नियंत्रक की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रस्तावित दर होगी जिसे प्रत्येक **6** माह में पुनरीक्षित किया जा सकता है।

2. आवंटन नियम

- आरक्षण की सुविधा शासन/परिषद द्वारा नियमानुसार देय होगी। परिषद/शासनादेशों के अनुसार पंजीकरण लॉटरी ड्रॉ में आरक्षण की सुविधा आवेदकों के प्राप्त आवेदन पत्रों के मध्य नियमानुसार दी जायेगी।
- प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध सम्पत्ति की संख्या से अधिक होने पर सार्वजनिक पात्रता चयन/नम्बरिंग ड्रॉ की कार्यवाही की जायगी। उक्त चयन में असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज के परिषद द्वारा निर्धारित बैंक से यथासम्भव एक माह में आवेदक के अपने आवेदन में अंकित किए गये बचत खाते में **RTGS/NEFT** के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।
- पात्रता चयन/नम्बरिंग ड्रॉ से एक सप्ताह पूर्व समस्त आवेदकों की सूची परिषद वेबसाइट **www.upavp.in** पर प्रदर्शित की जायेगी, जिसमें पात्रता चयन/नम्बरिंग ड्रॉ हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व यदि कोई त्रुटि/कमी परिलक्षित होती है तो आवेदक पंजीकृत डाक से/व्यक्तिगत अथवा ई–मेल **emogzb@upavp.com** से कार्यालय को सूचित करेंगे, तदानुसार परीक्षणोंपरान्त उसका निराकरण सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबंध कार्यालय के प्रभारी अधिकारी के द्वारा ससमय किया जा सकेगा। अन्यथा की स्थिति में पात्रता चयन/नम्बरिंग ड्रॉ की तिथि एवं उसके पश्चात कोई दावा मान्य नही होगा।
- सम्पत्ति आवंटन हेतु नियत तिथि, समय की सूचना परिषद वेबसाइट **www.upavp.in** पर 10 दिन पूर्व प्रदर्शित कर दी जायेगी।
- पात्रता चयन/नम्बरिंग ड्रॉ नियत तिथि, स्थान, समय की सूचना दो दैनिक समाचार पत्रों में भी विज्ञप्ति के माध्यम से कम से कम 10 दिन पूर्व प्रसारित करायी जायेगी।
- पात्रता चयन/नम्बरिंग ड्रॉ के सफल आवेदकों एवं उनको आवंटित सम्पत्तियों का विवरण पात्रता चयन/नम्बरिंग ड्रॉ के पश्चात परिषद वेबसाइट **www.upavp.in** पर यथासंभव उसी दिन प्रसारित कर दी जायेगी तथा सम्पत्ति आवंटन की सूचना पंजीकृत डाक के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।
- आवंटित भूखण्ड का कब्जा प्राप्त करने के उपरान्त भूखण्ड पर निर्माण हेतु मानचित्र उपविधि 2008 यथा संशोधित 2016 के प्राविधानों के अनुसार परिषद वेबसाईट पर ऑनलाईन किया जाना आवश्यक होगा। कब्जा तिथि से 05 वर्ष के अन्दर भूखण्ड पर निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार करना होगा।
- जिस प्रयोजन एवं उद्देश्य से सम्पत्ति का आवंटन किया गया है, उसी उपयोग में लायी जायेगी। उल्लंघन की दशा में विक्रय विलेख निरस्त करने की विधिक कार्यवाही परिषद द्वारा की जायेगी।
- प्रथम चरण मे एकमुश्त भुगतान करने पर प्राप्त आवेदकों के मध्य आवंटन सार्वजनिक लॉटरी ड्रॉ द्वारा किया जायेगा। उक्त के उपरान्त यदि सम्पत्ति शेष रह जाती है तो किश्तों पर प्राप्त आवेदकों के मध्य में सार्वजनिक लॉटरी ड्रॉ से कार्यवाही की जायेगी।
- आवंटित भूखण्ड का परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं किया जायेगा।

3. पंजीकरण हेतु पात्रता

3.1 आवेदक भारत का नागरिक हो।

3.2 आवेदक की आयु आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को 18 वर्ष से कम न हो।

3.3 आवेदक अथवा उसका परिवार (पति, पत्नी, अवयस्क पुत्र तथा आवेदक पर पूर्णतया निर्भर अविवाहित पुत्री सम्मिलित होगें) एक नगर में परिषद से केवल एक ही आवासीय (एकल भवन/भूखण्ड) के आवंटन हेतु पात्र होगा।

3.4 आवेदक या उसके परिवार के पास उस नगर में जहाँ आवासीय (एकल भवन/भूखण्ड) क्रय करने के लिए पंजीकरण करना है, उस नगरीय क्षेत्र में उसकी या उसके परिवार की परिषद द्वारा आवंटित कोई सम्पत्ति न हो तथा उ०प्र० के अन्य किसी नगर अथवा शहरीय क्षेत्र में परिषद की एक से अधिक सम्पत्ति न हो।

3.5 भूखण्डों में आय सीमा पर प्रतिबन्ध नहीं है।

4. पंजीकरण के नियम

4.1 ऑन–लाईन पंजीकरण प्रारम्भ होने पर इच्छुक आवेदक सर्वप्रथम परिषद वेबसाइट **www.upavp.in** पर जाकर मुखपृष्ठ **(Homepage)** के लिंक **"Online Registration For plots at Mandola Vihar Yojna Ghaziabad"** पर क्लिक करेंगे।

4.2 इसके पश्चात खुलने वाले वेब–पेज के लिंक **"Plots at Mandola Vihar"** पर क्लिक करना होगा।

4.3 आवेदक द्वारा संबंधित योजना की समस्त जानकारियाँ भली–भाँति पढ़कर **"Apply Online"** लिंक पर क्लिक करना होगा।

4.4 पंजीकरण एक से अधिक या संयुक्त नाम से नहीं किया जा सकता है। केवल पति–पत्नी के लिए संयुक्त पंजीकरण अनुमन्य है।

4.5 यदि कोई पंजीकृत आवेदक पात्रता चयन हेतु पात्रता चयन/नम्बरिंग ड्रॉ की तिथि से पहले पंजीकरण जमा धनराशि वापस लेना चाहता है तो उसकी लिखित सहमति के आधार पर उसका पंजीकरण आवेदन निरस्त करते हुए जमा पंजीकरण धनराशि बिना कटौती, बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।

4.6 यदि कोई आवेदक पात्रता चयन/नम्बरिंग ड्रॉ में चयनित होने के बाद, परन्तु निर्गत मांग पत्र में निर्धारित धनराशि जमा करने के अन्तिम तिथि से पूर्व पंजीकरण निरस्त करने का आवेदन करता है तो पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी। पात्रता/नम्बरिंग ड्रॉ में चयनित होने की तिथि से 3 माह के बाद निरस्तीकरण की दशा में पंजीकरण धनराशि का 50 प्रतिशत कटौती की जायेगी तथा अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी।

4.7 अनुबन्ध निष्पादन के बाद सम्पत्ति निरस्तीकरण सम्बन्धी आवेदन करने पर पंजीकरण/आवंटन के निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। जिसमें आवंटन पत्र जारी करने के 03 माह के भीतर आवंटन निरस्त करने सम्बन्धी आवेदन करने पर पंजीकरण धनराशि का 20 प्रतिशत, 03 माह पश्चात आवेदन करने पर 50 प्रतिशत कटौती करते हुए शेष धनराशि का 50 प्रतिशत आवंटी को निरस्तीकरण से 45 दिन में, एवं 50 प्रतिशत सम्पत्ति के पुर्नआवंटन अथवा 01 वर्ष में से जो भी पहले हो, के अनुसार वापस कर दी जायेगी।

4.8 उत्तर प्रदेश भू–सम्पदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम की शर्तों के अनुसार अनुबंध निष्पादन किया जायेगा। बुकिंग धनराशि जमा करने के पश्चात आवंटन पत्र निर्गत किया जायेगा। तत्पश्चात अनुबन्ध निष्पादन के उपरान्त धनराशि जमा कराई जायेगी।

4.9 आवेदन पत्र भरने से पूर्व पुस्तिका में दिये गये निर्देशों को भली–भॉति अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न होने पाये। अधूरे एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन स्वीकार नहीं होंगे।

5. आरक्षण :

क्र.सं.	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	अतिरिक्त रियायतें तथा सूचनात्मक टिप्पणी
1.	अनुसूचित जाति	21	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/उप जिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करानी होगी।
2.	अनुसूचित जनजाति	2	————————————तदैव————————————
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	27	————————————तदैव————————————
4.	मा० विधायक/सांसद/ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	5	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ जिलाधिकारी/ अधिकृत/ प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
5.	सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	5	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत अधिकारी/ प्राधिकारी का प्रमाण–पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
6.	उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	2	पंजीकरण आवेदन पत्र के साथ अधिकृत अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र मूलरूप में उपलब्ध कराये। शर्त यह है कि कर्मचारी अधिकारी से प्रमाणित उपलब्ध करायें।
7.	दिव्यांग व्यक्ति	5	मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें।
8.	वरिष्ठ नागरिक (आवेदन पत्र को जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि तक 60 वर्ष अथवा उससे अधिक की आयु पूर्ण होने के आधार पर)	10	हाईस्कूल प्रमाण पत्र/सेवानिवृत्त प्रमाण पत्र/पेंशन पेपर का प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध करायें। इन प्रमाण पत्रों के उपलब्ध न होने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत आयु प्रमाण पत्र की किसी राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित छायाप्रति उपलब्ध कराये।

नोट :– उपरोक्त में से क्रमांक 1 से 3 में आवेदक जिस वर्ग में आवेदन करेंगे, लॉटरी में उसी श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। क्रमांक 04 से 08 तक के आरक्षण शासनादेश/परिषद आदेशों के प्राविधानानुसार श्रेणी 01 से 03 तक व अनारक्षित श्रेणी के मध्य से ही हॉरिजेन्टल रूप से किया जायेगा। हॉरिजेन्टल आरक्षण लागू होने की दशा में एक ही विकल्प मान्य होगा।

श्रेणी –

- कोड न भरने की स्थिति में आवेदक को अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि यदि आवेदक किसी आरक्षण का कोड भरने के आधार पर चयनित हो जाता है तो आरक्षण श्रेणी की पुष्टि प्रमाण पत्रों से की जानी अनिवार्य होगी। त्रुटिपूर्ण प्रमाण होने की स्थिति में अथवा प्रमाण–पत्र सत्यापित न होने की स्थिति में आवेदन–पत्र निरस्त किया जायेगा तथा आवेदक के विरूद्ध अन्य विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।
- उ०प्र० के अतिरिक्त अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के व्यक्ति पात्र नहीं माने जाएंगे उन्हें अनारक्षित श्रेणी हेतु पात्र माना जायेगा।

6. असफल आवेदकों को पंजीकरण धनराशि की वापसी

6.1 असफल आवेदकों को उनकी जमा धनराशि बिना ब्याज के परिषद द्वारा निर्धारित बैंक से यथासंभव एक माह में आवेदक के अपने आवेदन में अंकित किये गये खाते मे आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।

7. भूखण्ड का भौतिक कब्जा

- भूखण्डों का कब्जा दिनांक 31.12.2028 तक हस्तगत किया जाना प्रस्तावित है। परिषद द्वारा विलम्ब से कब्जा दिये जाने की दशा में एग्रीमेन्ट फॉर सेल की शर्तों/प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। **Force Majeure** की स्थिति में, किसान आन्दोलन की वजह से हुये विलम्ब पर अथवा ऐसी परिस्थितियाँ जो परिषद के वश में नहीं हैं उनमें कब्जा देने की तिथि बढ़ाई जा सकती है जिस पर ब्याज देय नही होगा।
- आवंटन लॉटरी में सफल आवेदकों को लॉटरी तिथि से 30 दिनों के अन्दर प्रदेशन पत्र निर्गमन की कार्यवाही की जायेगी। उक्त के उपरान्त आवंटी को सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय में उपस्थित होकर निर्धारित प्रारूप पर विक्रय करार (Agreement for Sale) सम्बद्ध निष्पादित/पंजीकृत कराना होगा।
- पूर्णता प्रमाण पत्र एवं विक्रय विलेख के पश्चात ही कब्जा पत्र निर्गत होगा।
- आवेदक द्वारा नियमानुसार भूखण्ड के मूल्य का भुगतान परिषद खाते में सेलडीड कराने से पूर्व Schedule-c के अनुसार करना होगा।
- क्षेत्रफल के समस्त विकास कार्य रेरा पंजीकरण शर्त के अनुरूप अगामी 5 वर्षो में किया जाना प्रस्तावित है। क्रेता को इस अवधि में विकास कार्यो के पूर्ण न होने का सापेक्ष किसी भी प्रकार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

8. तथ्यों को छिपाना

8.1 यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य/मिथ्या/त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, तो उसके पंजीकरण/आवंटन/निबंधन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद में निहित होगा तथा आवंटी द्वारा जमा की गयी सम्पूर्ण धनराशि जब्त कर ली जायेगी एवं नियमानुसार विधि समस्त अन्य कार्यवाही की जा सकेगी।

9. अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं/ शर्तें

- चूंकि यह योजना आवासीय है, अतः सम्पत्ति का प्रयोग केवल आवासीय हेतु किया जायेगा। उल्लंघन किये जाने पर विधिक कार्यवाही कर विक्रय–विलेख एवं आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।
- पंजीकृत व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारियों अथवा आवेदक द्वारा नियुक्त नॉमिनी के पक्ष में वांछित औपचारिकताएं पूर्ण करने पर पंजीकरण एक नाम के पक्ष में परिवर्तित किया जायेगा किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि ऐसा आवेदक उस सम्पत्ति के पंजीकरण की सभी शर्ते पूरी करता हों।
- इन विनियमों के अधीन उत्पन्न होने वाले वादों के लिए, सम्बन्धित नगर स्थित, दीवानी न्यायालय का ही अधिकार क्षेत्र होगा।
- परिषद विनियमों के प्राविधानों में किसी धारा–उपधारा के रहते हुए भी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में आवास आयुक्त को अन्यथा निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा। किसी विषय अथवा विवाद पर आवास आयुक्त का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।
- किसी भी सम–सामायिक संशोधन का अधिकार आवास आयुक्त में निहित होगा।

आवेदन पत्र भरने के लिए कोड की सूची (आरक्षण कोड)

आरक्षण श्रेणी	कोड संख्या
अनुसूचित जाति	01
अनुसूचित जनजाति	02
अन्य पिछड़ा वर्ग	03
अनारक्षित	04
हॉरिजेन्टल आरक्षण कोड	
मा0 विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	F
सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	G
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	B
समाज के विकलांग व्यक्ति	D
वृद्धजन, वरिष्ठ नागरिक	O
विस्थापित	W

आरक्षण वर्ग के आवेदकों को सम्पत्ति आवंटन के पूर्व आरक्षण श्रेणी का प्रमाण पत्र जिलाधिकारी कार्यालय से निर्गत कराकर देना होगा। उक्त के उपरान्त ही आवंटन पत्र निर्गमन की कार्यवाही की जायेगी।

मुख्य परिभाषायें

निम्नलिखित शब्द/शब्द समूह एवं संक्षिप्त शब्द इस पुस्तिका तथा संलग्न प्रपत्रों में प्रयोग किये गये है, जहाँ-जहाँ वे प्रयुक्त किये गये है, उनके निम्नलिखित अर्थ होगे :-

आवेदक का परिवार :-

आवेदक के परिवार में पति, पत्नी, अवयस्क पुत्र तथा आवेदक पर पूर्णतया निर्भर अविवाहित पुत्री सम्मिलित होंगे।

भूखण्ड/भवन :-

''भवन या मकान'' शब्द में ''फ्लैट'' भी सम्मिलित है तथा भूखण्ड का तात्पर्य आवासीय भूमि के भूखण्ड से है।

सम्पत्ति :-

सम्पत्ति का तात्पर्य विकसित आवासीय भूखण्ड अथवा निर्मित भवन/फ्लैट से है।

चरण (पंजीकरण का खुलना) :-

इसका तात्पर्य निर्धारित अवधि के लिये विशिष्ट श्रेणी की सम्पत्ति के लिये पंजीकरण खुलने पर आवेदन पत्र आमंत्रित करने से है। प्रत्येक सम्पत्ति के पंजीकरण खुलने की अवधि तथा तिथि विभिन्न चरणों के लिये भिन्न होगी।

पंजीकरण का दौर :-

इसका तात्पर्य पंजीकरण की उस प्रक्रिया से है, जिसके अन्तर्गत एक विशेष अवधि में पंजीकरण किया जाता है।

सरकारी सेवाओं से तात्पर्य :-

उ०प्र० राज्य अथवा राज्याधीन उपक्रम की सेवा में कार्यरत ऐसा कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो से है।

सुरक्षा सैनिक का तात्पर्य :-

सेवारत/सेवानिवृत्त सुरक्षा सैनिक से है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति का तात्पर्य शासन द्वारा प्रसारित आदेशान्तर्गत आने वाली जातियों से है।

दिव्यांग व्यक्ति का तात्पर्य :-

शासन अथवा जिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित दिव्यांग व्यक्ति से है।

परिषद कर्मचारी का तात्पर्य :-

परिषद के नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती या प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी से है जिनकी दो वर्ष सेवा पूरी हो।

परिषद का तात्पर्य :-

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद से है।

विकास प्राधिकरण/जल संस्थान/नगर महापालिका व स्थानीय निकाय के कर्मचारियों का तात्पर्य:-

ऐसे कर्मचारी जो नियमित अधिष्ठान में सीधी भर्ती से नियुक्त हों।

विनियामक प्राधिकरण का तात्पर्य-

उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण से है।

रू० 10.00 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित समक्ष
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

शपथ पत्र

समक्ष- आवास आयुक्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

मैं श्री/श्रीमती/कु0..पुत्र/पुत्री/पत्नी.................................उम्र.................... निवासी.............................. .... शपथपूर्वक ब्यान करता/करती हूँ कि :–

1– मैं एतद्द्वारा शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मैंने इस आवेदन पत्र के साथ दिये गये पंजीकरण योजना के नियमों/शर्तों/विशेष सूचनाओं की परिभाषा, पंजीकरण के इस चरण की प्रकिया, जिसका उल्लेख इस पुस्तिका में किया गया है, को स्पष्ट समझ लिया है तथा मैं इसके पालन का वचन देता/देती हूँ।

2– मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे पति/पत्नी तथा आश्रित बच्चों के उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद की किसी भी योजना के अन्तर्गत और उ०प्र० के किसी अन्य नगर में एक से अधिक आवासीय भूखण्ड/भवन नहीं है।

3– जिस नगर अथवा क्षेत्र के लिये में आवेदन कर रहा/रही हूँ उसमें मेरा अथवा मेरे परिवार के नाम परिषद का कोई आवासीय भूखण्ड/भवन नहीं है। यदि आवंटन के पूर्व आवेदित नगर में परिवार के किसी सदस्य द्वारा कोई भूखण्ड/भवन क्रय किया जाता है तो उसकी लिखित सूचना तुरन्त परिषद को दूँगा/दूँगी।

4– मैं...यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी मृत्यु हो जाने पर श्री/श्रीमती.................................. ....जो रिश्ते में मेरे/मेरी......................................है एवं खून के सम्बन्धी है, को इस पंजीकरण के नामान्तरण हेतु प्रथम वरीयता पर नामित करता/ करती हूँ। प्रथम वरीयता के नामान्तरी की मृत्यु होने पर इसी क्रम में श्री/श्रीमती .... जो मेरे/मेरी ....है एवं खून के सम्बन्धी है, को इस पंजीकरण हेतु द्वितीय वरीयता पर नामित करता/करती हूँ।

5– मैं समयानुसार निर्धारित तिथियों से पूर्व देयों का भुगतान करूँगा/करूँगी, यदि मेरे द्वारा भुगतान में कोई विलम्ब किया जाता है एवं उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद उक्त के कारण मेरा आवंटन निरस्त करता है तो मुझे कोई आपत्ति नही होगी।

6– मैं आवंटन की समस्त शर्तों का पालन करूँगा/करूँगी। यदि मेरे द्वारा किसी शर्त का उल्लंघन किया जाता है तो उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद को यह अधिकार होगा कि मेरा आवंटन निरस्त कर दें और जमा पंजीकरण धनराशि जब्त कर लें।

7– मैं एतद्द्वारा शपथपूर्वक ब्यान करता/करती हूँ कि धारा 1 से 6 में कहा गया कथन सर्वथा सत्य है। यदि किसी समय यह ज्ञात हो कि मेरे सम्बन्ध में कोई असत्य विवरण जान–बूझकर परिषद को दिया है तो मेरे विरूद्ध ऐसी कोई कार्यवाही करने, जो उपयुक्त समझे, अधिकार होगा।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं एतदद्वारा शपथपूर्वक ब्यान करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त क्रमांक 1 से 7 तक की दी गयी सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान एवं विश्वास से सर्वथा सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

आवेदन पत्र भरने के लिए कोड की सूची
(आरक्षण कोड)

आरक्षण श्रेणी	कोड संख्या
अनुसूचित जाति	01
अनुसूचित जनजाति	02
अन्य पिछड़ा वर्ग	03
(अनारक्षित) सामान्य वर्ग	04

हॉरिजेन्टल आरक्षण कोड

विधायक, सांसद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	F
सरकारी सेवाओं तथा सुरक्षा सेवाओं के कर्मचारी जो 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों।	G
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकायों के कर्मचारी	B
समाज के विकलांग व्यक्ति	D
वृद्धजन	O
विस्थापित	W

लिंग	कोड
स्त्री	f
पुरूष	m
संयुक्त आवेदन की स्थिति में (पति-पत्नी)	HW

भुगतान	कोड
नगद	01
किश्त	02

सम्पत्ति का प्रकार	कोड
भूखण्ड	P

ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन हेतु सुविधा प्रदाता बैंक

क्र०सं०	बैंक का नाम एवं पता	सम्बन्धित अधिकारी का नाम	दूरभाष नं०
1	**S.B.I. BANK** **S.M.E. Branch** **Navyug market** **Ghaziabad U.P** **201001**	**Sunil Singh** Chief Manager (Digital)	**9112686800** **6394067710**
		Aprajita Roy Chief Manager (Branch)	**9350954463**

योजना के क्रियान्वयन की जानकारी हेतु परिषद के अधिकारियों से सम्पर्क कर सकते हैं।

इं० राहुल यादव
अधीक्षण अभियन्ता
बागपत वृत्त
मो०नं०- 8795810139

इं० फराज असलम
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड बागपत-01
मो०नं०-8795811694

श्री सुनील कुमार शर्मा
सम्पत्ति प्रबन्धक
सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय, गाजियाबाद
मो०नं०-6390900133

नामांकन पत्र

आवेदक का एकल फोटो
अथवा
संयुक्त रूप से पति पत्नी
आवेदक का स्वहस्ताक्षरित
पासपोर्ट साईज फोटो
(हस्ताक्षर इस प्रकार
किया जाये कि आधा
फोटो के ऊपर व आधा
फार्म पर हो)

नामांकन / Nomination

मैं .... यह घोषणा करता / करती हूँ कि मेरी मृत्यु हो जाने पर श्री / श्रीमती .... जो रिश्तों में मेरे / मेरी .... है, को मैं पंजीकरण के नामान्तरण हेतु नामित करता / करती हूँ।

दिनांक : ....

आवेदक के हस्ताक्षर

स्थान : ....

पूर्ण पता ....

....

....

सम्पर्क सूत्र

परिषद ई.मेल	:	info@upavp.com
वेबसाईट	:	www.upavp.in
टोल फ्री नम्बर	:	1800-180-5333
जन सुविधा केन्द्र दूरभाष नं०	:	0522—2236803

भूखण्डों के ऑन-लाइन पंजीकरण हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश

- पंजीकरण आवेदन शुल्क रू0 1,180/–(रूपये एक हजार एक सौ अस्सी) जी0एस0टी0 सहित ऑनलाइन जमा करना होगा।
- ऑन–लाइन पंजीकरण प्रारम्भ होने पर इच्छुक आवेदक सर्वप्रथम वेबसाइट **www.upavp.in** पर जाकर मुख्य पृष्ठ **(Homepage)** के लिंक **"Online Registration For Plot in Mandola Vihar Yojna Ghaziabad"** पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात खुलने वाले वेब–पेज के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- आवेदक द्वारा संबंधित योजना/भूखण्ड की समस्त जानकारियॉ भली–भॉति पढ़कर **"Apply Online"** लिंक पर क्लिक किया जायेगा।
- तत्पश्चात उपलब्ध होने वाले वेब पेज पर आवेदक द्वारा अपने आवेदन से संबंधित मुख्य जानकारियॉ **(Basic Informations)** यथा–नाम, पंजीकरण तिथि, मोबाईल नम्बर, ई–मेल, इच्छित भूखण्ड आदि विवरण ऑन–लाइन अपलोड/फीड किये जायेगें।
- उक्त प्रक्रिया सम्पन्न करने के उपरान्त आवेदक द्वारा **'Submit'** बटन पर क्लिक किया जायेगा।
- **'Submit'** करने के उपरान्त आवेदक द्वारा **'Confirm'** करने की दशा में उसे अपने ऑन–लाईन पंजीकरण से संबंधित विवरण, यूजर आई0डी0/पासवर्ड के साथ–साथ पंजीकरण धनराशि के भुगतान के दिशा–निर्देश सहित प्राप्त होगें।
- उक्त वेब पेज पर अंकित लिंक **'Print'** पर क्लिक करते हुए आवेदक द्वारा प्रथम चरण **(Step-1)** की ई–रसीद **(e-Recipt)** बटन का प्रिन्ट आउट भविष्य के संदर्भ हेतु अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जायेगा।
- आवेदक को पासपोर्ट साईज का स्वहस्ताक्षरित फोटोग्राफ आवेदन पत्र पर यथास्थान अपलोड करना है। संयुक्त आवेदक (पति–पत्नी) की ओर से आवेदन की स्थिति में दोनों का संयुक्त फोटोग्राफ अपलोड करना अपेक्षित होगा।
- आवेदन पत्र में अंकित लिंग **(SEX)** कॉलम मे पुरूष हेतु **'M'** एवं महिला हेतु **'F'** भरें। संयुक्त आवेदन की स्थिति में (पति–पत्नी) हेतु **'HW'** भरें।
- आरक्षण की श्रेणी भरने के लिए पंजीकरण पुस्तिका में उल्लिखित ''आरक्षण'' नियमों का अध्ययन करें। आरक्षण के प्राविधानों को दृष्टिगत रखते उचित कोड भरना अनिवार्य होगा। रिक्त स्थान रहने की स्थिति में अभ्यर्थी को अनारक्षित श्रेणी में माना जायेगा।
- आवेदक द्वारा उक्त प्रिन्ट–आउट में अंकित दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए पंजीकरण के 24 घण्टे (अथवा अगले कार्य दिवस) उपरान्त निम्नलिखित विवरणानुसार धनराशि एवं आवेदन शुल्क के भुगतान की कार्यवाही की जायेगी :–

✓ **Visit website www.upavp.in & click on link "Online Registration For Plot in Mandola Vihar Yojna Ghaziabad"**

✓ **Click on link "Registration Fee Payment" on concerning scheme's webpage.**

✓ **Select payment category as 'Registration' and provide Registration ID, then click on 'Submit' button.**

✓ **Provide the required necessary details & click 'Submit'**

✓ **After clicking on 'Confirm' button '...................... Bank MOPS*' will be available.**

✓ **Applicant can choose anyone option for making payment.**

पंजीकरण धनराशि का भुगतान

उपरोक्तानुसार ऑन–लाईन आवेदन के अन्तर्गत आवेदक द्वारा प्राप्त होने वाले प्रिन्ट–आउट में उल्लिखित दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए पंजीकरण के पश्चात निम्नलिखित विवरणानुसार पंजीकरण धनराशि एवं आवेदन शुल्क के भुगतान की कार्यवाही की जायेगीः–

- ✓ **Visit website www.upavp.in & click on link "Online Registration of Plots"**
- ✓ **Click on concerning scheme's webpage link.**
- ✓ **Click 'Apply online' link & provide basic details and property.**
- ✓ **Please verify the registration details and click 'Confirm' button.**
- ✓ **Applicant can pay registration fee instantly, if Payment mode was selected as Netbanking/Debit/Credit Card.**
- ✓ **If applicant selected 'e-challan' payment mode, then 'e-challan' will be generated.**
- ✓ **Take the printout of 'e-challan' and pay registration fee at nearest Bank's Branch.**
- * उपरोक्तानुसार पंजीकरण धनराशि/आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त बैंक द्वारा आवेदक को **Transaction ID** प्रदान की जायेगी।

IS 15700:2018

सेवोत्तम प्रमाणित

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ

Toll Free No.: 1800-180-5333 जन सुविधा केन्द्र 0522-2236803

UPHDBHQ www.upavp.in info@upavp.com